न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—284/2018/225 (2018/00284)

1. नौरत पुत्र रामचन्द्र, जाति माली, निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— गुलाबी पत्नि नौरत,
   1/2— राजू पुत्र नौरत,
   1/3— ग्यारसीलाल पुत्र नौरत,
   1/4— मंगलचंद पुत्र नौरत,
   1/5— कमला पुत्री नौरत,
   समस्त जाति माली, नि0 रामसर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बिस्मिल्लाह पत्नि इदू खां, जाति मुसलमान (फौत)
2. मुस्ताक अली पुत्र इदू खां, जाति मुसलमान,
3. बून्दू खां पुत्र इदू खां, जाति मुसलमान,
4. मेम पुत्री इदूखां, जाति मुसलमान,
5. नजमा पुत्री इदूखां, जाति मुसलमान,
6. हनीफ पुत्र अमीद खां, जाति मुसलमान,
   समस्त निवासी ग्राम रामसर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
7. उप पंजीयन अधिकारी, कार्यालय उप पंजीयक अधिकारी, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 24.8.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 97/2016.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शांतिप्रकाश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 6.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 व 8.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 24.8.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0

1955 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद में स्थित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जाशुदा खातेदारी/काश्तकारी की भूमि है । जिसका चौसाला जमाबंदी खसरा नंबर पुराना 2924 रकबा 13–3–10 वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर नवीन 3091 रकबा 1–6–0, खसरा नंबर 3093 रकबा 1–6–00, खसरा नंबर 3094 रकबा 0–18–0, खसरा नंबर 3095 रकबा 0–9–0, खसरा नंबर 3096 रकबा 1–13–0, खसरा नंबर 3097 रकबा 1–16–0 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक भूमि थी । पुराने खसरा नबर 2924/2 रकबा 3–4–0 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नंबर 3091, 3093, 3094, 3095 प्रार्थी नौरत के पिता रायचंद पिता कल्याणमल जाति माली की क्रयशुदा भूमि थी जिस पर प्रार्थी पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा व आधिपत्य है । उक्त खसरा नंबरों का नियमन प्रार्थी के पिता रायचंद उर्फ रामचंद्र पुत्र कल्याण्उा के नाम नियमानुसार लगातार निरन्तर कब्जा काश्त होने से नामांतकरण संख्या 1596 में पुराने खसरा नंबर 2924 रकबा 13–3–10 को त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता इदूखां पुत्र शाहनूर एवं अप्रार्थी संख्या 6 के पिता हमीद के नाम शून्य नियमन से अंकन कर दिया । तत्पश्चात् पुनः अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के नाम वर्तमान राजस्व में बने हाल खसरा नंबर 3200, 3222, 3222/10097 संपूर्ण भूमि को गलत अंकन किया गया। अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि पर से बेदखल कर उक्त आराजी कृषि भूमि का अन्यंत्र बेचान करने पर आमादा है । अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 24.8.2018 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । दावाकृत भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 क पुराना खसरा नंबर 2924 रकबा 13–3–10 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक भूमि थी, में पुराने खसरा नंबर 2924/2 रकबा 3–4–0 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नंबर 3091 रकबा 1–6–0, 3093 रकबा 1–6–0, 3094 रकबा 0–18–0, 3095 रकबा 0–9–0 भूमि प्रार्थी नौरत के पिता रायचंद पिता कल्याणमल माली की कब्जेशुदा भूमि थी जिस पर प्रार्थी पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चला आ रहा है जिससे प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर खातेदार काश्तकार होकर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा था किन्तु बिना कब्जे के रेस्पो0 के नाम गलत अकन होने से अप्रार्थीगण/रेस्पो0 अपीलांटस को बेदखल करने पर आमादा है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है कि प्रार्थी ने संवत् 2026 की खसरा परिवर्तनशील पेश की है जिसमें रामचंद्र पुत्र कल्याणमल माली अतिक्रमी के रूप में दर्ज है जो अधिकार अभिलेख नहीं है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है यदि वाद के विचाराधीन रहते अप्राथीगण अपीलांटस को विवादित आराजियात से बेदखल कर देते है तो और अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी तथा अपीलांटस को ही अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन

तथा अपूर्णीय क्षति के घटक अपीलांटस के पक्ष में निहित होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । विवादित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त होने से आवंटन समिति द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में नियमन की जाकर गैर खातेदार दर्ज किया गया तत्पश्चात् गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त न होकर रेस्पो0 का कब्जा काश्त है इसलिये अपीलांटस को बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने कब्जे काश्त के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । वादग्रस्त आराजी ग्राम रामसर के चौसाला जमाबंदी में सिवायचक दर्ज थी जो नामांतकरण संख्या 91 दिनांक 18.7. 1992 से ईदू व हमीद पि0 शाहनूर के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज हुई है । विवादित आराजियात पूर्व में रेस्पो0 के नाम गैर खातेदारी से तत्पश्चात् खातेदारी में दर्ज हुई है । वर्तमान अभिलेख में भी रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है । अपीलांट ने केवल मात्र संवत् 2026 की खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांट के पिता रायचंद पुत्र कल्याणमल माली अतिक्रमी के रूप में दर्ज है । खसरा परिवर्तनशील अधिकार अभिलेख नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर प्रार्थना पत्र को निर्णित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.8.2018 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर